न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारीः– अंजु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 248 / 1019

1. जगदीश प्रसाद पुत्र डालूराम जाति गुर्जर निवासी पांचू खरकड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर। –आवेदक

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान।
2. पटवारी, पटवार हल्का ग्राम डूंगा की नांगल तहसील नीमकाथाना।
3. कोयली पुत्री भादर
4. जयमल पुत्र भादर
5. धोली पुत्री भादर
6. पूरण्मल पुत्र भादर
7. रामनिवास पुत्र मामला
8. लालचन्द पुत्र मामला
9. लीलाराम पुत्र मामला
10. शिम्भूदयाल पुत्र भादर
11. सन्तरा पुत्री भादर
12. हरचन्द पुत्र मामला
13. हंसराज पुत्र मामला

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान पांचू खरकड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर। –अनावेदकगण।

वकील प्रार्थीगण – श्री मुरारीलाल माथुर
अप्रार्थीगण – निर्णय श्री नरेन्द्र आकोला दि. 5-9-2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत रिव्यू किये जाने आदेश दिनांक 10.6.2016 बमुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती भूमि अवस्थित राजस्व ग्राम पांचू खरकड़ा तहसील नीमकाथाना।

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि ख.नं. 539 रकबा 0.25 हे. की खातेदारी भू –प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा के अनुसार आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई है। जिसका मौके का नक्शा भी इसी क्षेत्रफल के अनुसार बनाया हुआ है। आवेदक का कब्जा भी इसी अनुसार चला आ रहा है।

अनावेदकगण संख्या 3 ता 13 की खातेदारी भूमि उक्त भूमि के सींव जोड़ है। आवेदक की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के चारों ओर खाम डोली एवं उस पर लगी बाड से महदूद है। अनावेदकगण संख्या 3 ता 13 की ओर से एक आवेदन पाटन कैम्प में आयोजित उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें कार्यवाही की जाकर विवादित आदेश दिनांक 10.6.2016 को जारी किया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर सादर प्रेषित हैः–

(क) माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह क्षेत्राधिकार के बाहर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में चाहा गया अनुतोष भूप्रबन्ध विभाग द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

जारी नक्शे एवं रकबे में परिवर्तन की बावत चाहा गया है आवेदक की भूमि ख.न. 539 रकबा 0.25 हे. की बावत विधिवत बाद जांच भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा दिनांक 17.10.2005 को जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र 10 साल से अधिक समय बाद प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया।

(ख) विवादित आदेश करने से पूर्व आवेदक को कोई सूचना या नोटिस नही दिया गया।

(ग) प्रकरण में जिन खसरा नम्बरान के संबंध में आदेश पारित किया गया है उनकी मौके की स्थिति की बावत कोई रिपोर्ट सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी । ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध है।

(घ) माननीय न्यायालय के आदेश से प्रत्यक्ष रूप से आवेदक के हितो पर प्रभाव पड़ा है। विवादित आदेश की मौके पर कोई पालना भी आज तक नहीं हुई है। अतः आदेश रिव्यू किया जावे।

अनावेदक द्वारा दिनांक 22.6.2019 को आवेदक के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं उक्त आदेश की बावत जाहिर करने पर आवेदक ने दिनांक 24.6.2019 को अनावेदकगण द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। अतः आदेश दिनाक 10.6.2016 को रिव्यू करते हुए आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी ख.नं.539 सम्वत् 2070–73, एवं 2075–78 जमाबंदी ख.नं. 540 सम्वत् 2070–73, 2075–78, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा नया व नक्शा पुराना, पर्चा सैटलमेंट नया , पत्र सैटलमेंट, खाता दुरूस्ती फार्म, पटवारी रिपोर्ट, नायब तहसीलदार आदेश, उपखण्ड अधिकारी आदेश, नामान्तकरण संख्या 51 व 257 ग्राम पांचूखरकड़ आदि प्रस्तुत किये गये है।

उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस विरूद्ध अनावेदकगण जारी किये गये। अनावेदकगण नं. 4, 6 ता 10, 12, 13 की ओर से श्री नरेश सामोता अधिवक्ता उप.। अनावेदक नं. 1 व 2, 3, 5, 11 बाद तामील अनुपस्थित रहे है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदकगण द्वारा विक्रय पत्र बहक जगदीश प्रसाद पुत्र डालूराम(आवेदक) दिनांक 19.5.2004 की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सीधे ही बहस का निवेदन किया गया।

दौराने बहस विज्ञ अधिवक्ता आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए आदेश दिनांक 10.6.2016 को रिव्यू करने का निवेदन किया । दूसरी ओर विज्ञ अधिवक्ता अनावेदकगण द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक को जरिए विक्रय पत्र ख.नं. 88 रकबा 0.09 हे. सम्पूर्ण का विक्रय कर कब्जा सम्भलाया गया था। रिव्यू प्रार्थना की आड में 0.25 हे. की खातेदारी दर्ज कराना चाहते है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नहीं है। खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत समस्त दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। जिन बिन्दुओं को लेकर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उन पर विवेचन बिन्दुवार इस प्रकार से है:–

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

(क) रिकार्ड दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.6.2016 को मजमें आम कैम्प पाटन में खातेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिस पर पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक, नायब तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट /अभिशंषा से प्रस्तुत किया गया था । कैंप प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। आवेदक का क्षेत्राधिकार संबंधि तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की सुनवाई मजमें आम की गयी है।
(ख) प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. होने से पटवारी, भू.अ. नि. एव नायब तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट प्राप्त की गयी मुताबिक रिकार्ड के मजमें आम सुनवाई की जाकर रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश जारी किये गये है।
(ग) प्रकरण में जिन खसरा नम्बरान के संबंध में आदेश पारित किया गया था उनकी मौके की स्थिति की बाबत रिपोर्ट तत्समय सक्षम अधिकारी उप तहसीलदार पाटन से प्राप्त की गयी थी। जो पत्रावली पर उपलब्ध है।
(घ) आदेश दिनांक 10.6.2016 की पालना में नामान्तकरण संख्या 51 ग्राम पावू खरकडा तस्दीक किया गया है।

आवेदक द्वारा जिन बिन्दुओं को लेकर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रमाणित करने में असफल रहा है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा भूमि ख.नं. 88 रकबा 0.09 हे. क्रय किया गया था । सैटलमेंट द्वारा नये खसरा नम्बर व रकबा बनाते समय रिकार्ड अशुद्ध किया गया है। प्रार्थी/आवेदक रिकार्ड दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र बाबत आदेश दिनांक 10.6. 2016 रिव्यू किये जाने खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अ.पा. शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner